वित्तीय वर्ष 2016–17 में जैविक प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत समेकित कीट प्रबंधन कार्यक्रम का कार्यान्वयन अनुदेश

1. **कार्यक्रम का परिचयः–**

साठ के दशक से आधुनिक कृषि तकनीक अपनाने से एक तरफ कृषि उत्पादन में आशातीत बढ़ोत्तरी हुई है, तो दूसरी तरफ विगत चार–पॉच दशकों में कीट/व्याधि के नियंत्रण हेतु कृषि रसायनों का व्यवहार भी बढ़ा है। अनावश्यक एवं अंधाधुंध कीटनाशी के व्यवहार से कीटों में प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि, जैविक नियंत्रण के कारकों का विनष्टीकरण, कृषि परिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगड़ना, पर्यावरण प्रदूषण के साथ ही उत्पादन में खर्च की बढ़ोत्तरी के कारण कृषि में शुद्ध लाभ की कमी हुई है।

परिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने एवं वातावरण की सुरक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखकर बिहार सरकार द्वारा जैविक खेती परियोजना अन्तर्गत सभी मौसम में समेकित कीट प्रबंधन कार्यक्रम अपनाया गया है, ताकि कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ–साथ कृषि उपज की गुणवत्ता एवं पर्यावरण प्रदूषण आदि में सुधार हो सके।

2. **इस योजना के अन्तर्गत तीन उप योजनायें शामिल हैः–**

1. बीजोपचार हेतु बीजोपचार रसायन/50% अधिकतम 150/–रू0 प्रति हेक्टेयर।
2. फेरोमोन ट्रैप (गंधपास) का /90% अधिकतम 900/–रू0 प्रति हेक्टेयर।
3. जैव कीटनाशी का /50 प्रतिशत अधिकतम 500/–रू0 प्रति हेक्टेयर।

3. **कार्यान्वयन एजेन्सी :–**

इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य स्तर पर नोडल पदाधिकारी संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण) बिहार पटना होगें एवं नियंत्री पदाधिकारी कृषि निदेशक बिहार पटना होगें। इस योजना के जिला स्तरीय पदाधिकारी कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी सम्परिवर्तित पदनाम सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण एवं जिला कृषि पदाधिकारी (सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण पदाधिकारी के नहीं रहने पर) होगें जिनके द्वारा इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जायगा। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इस तकनीक को अधिक से अधिक कृषकों तक पहुँचाना है। जिला कार्यन्वयन एजेन्सी को निम्नांकित कार्य एवं दायित्व निर्धारित किया जाता है।

I- योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला हेतु आवंटित लक्ष्य को जिला कृषि पदाधिकारी/सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण द्वारा प्रखण्डवार/ पंचायतवार लक्ष्य निर्धारित किया जाना।

II- जैविक खेती परियोजना अन्तर्गत स्वीकृत योजना के विरूद्ध प्राप्त राशि का अलग रोकड़ पंजी/ बैंक खाता के माध्यम से संधारित किया जाना।

III- विहित प्रपत्र में प्रत्येक माह के 5 वें तारीख तक सही ढंग से संधारित कर प्रतिवेदन भेजा जाना।

IV- उपादानों के वितरण हेतु आयोजित कृषि मेला/स्थानीय चिन्हित प्रतिष्ठानों के माध्यम से सुनिश्चित करना।

V- कृषक अनुदान हेतु आवेदन प्रपत्र अनुसूचि–I में अंकित है।

VI- अगर किसी प्रखण्ड के लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती है तब उन प्रखण्डों के लक्ष्य का अन्य प्रखण्डों में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

VII- अनुदान का लाभ " पहले आओ पहले पाओ" के सिद्धान्त पर प्राप्त किया जा सकेगा। वित्तीय वर्ष 2015–16 में आवंटित भौतिक लक्ष्य के अनुरूप एक कृषक को अधिकतम 02 (दो) हेक्टेयर पर अनुदान का लाभ देय होगा।

4. कृषक की पात्रता

4.1. वैसे कृषक जो विभिन्न फसलों (धान, मक्का, सब्जी, तेलहन, दलहन एवं अन्य खरीफ, रब्बी, गरमा फसलों) आदि की खेती के इच्छुक होगें इस योजना का लाभ प्राप्त करेंगें।

4.2. अनुदानित दर पर उपादान प्राप्त करने हेतु कृषक अपने पहचान पत्र की प्रति (मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड या अन्य पहचान पत्र) के साथ आवेदन दे कर संबंधित क्षेत्र के प्रखंड कृषि पदाधिकारी/पौधा संरक्षण निरीक्षक/पौधा संरक्षण पर्यवेक्षक/क्षेत्र परिचालक/पौधा संरक्षण केन्द्र प्रभारी/ कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार की अनुशंसा पर अनुदान प्राप्त कर सकेंगें (अनुसूची– । पर आवेदन पत्र संलग्न है)

4.3. पहचान पत्र की छाया प्रति चिन्हित कीटनाशी विक्रेता प्रतिष्ठानों द्वारा सुरक्षित रखा जायेगा। जिसका उपयोग सत्यापन के लिए किया जायेगा।

4.4. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत लक्ष्य को सामान्य/अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों की संख्या के अनुसार लक्ष्य का निर्धारण करेंगे। लघु/सीमान्त/महिला/अल्पसंख्यक कृषकों की भागीदारी कम से कम 33% सुनिश्चित किया जाय।

4.5 वित्तीय वर्ष 2015–16 में इस योजना से लाभान्वित कृषकों को छोड़कर लाभुको का चयन किया जाना श्रेयवकर होगा ताकि अधिक से अधिक कृषक जैविक विधि को अपना सकें।

4.6 इस योजना में किसी एक मद या सभी मदों में कृषकों को अनुदान दिया जा सकता है।

4.7 जैविक उपादानों यथा जैविक कीटनाशी एवं फेरोमोन ट्रैप का प्रचार–प्रसार एवं व्यापक पैमाने पर प्रभाव पाने हेतु कृषक समूहके माध्यम से प्रखंड स्तरीय कैम्प लगाकर उपादान वितरण किया जायेगा।

4.8 प्रत्येक समूह में कम से कम 05 हेक्टेयर फसल क्षेत्र शामिल हो यह सुनिश्चित किया जायेगा।

4.9 IPM आधारित कृषक प्रक्षेत्र पाठशाला के लिए चयनित कृषकों को इन उपादान विवरण में प्राथमिक्ता दी जाय ताकि IPM आधारित प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कृषकों द्वारा जैविक उपादान को तकनीकी रूप से अपने फसलों पर व्यवहार किया जा सकें।

5. आवेदन की जॉच एवं अनुदान का भुगतान :–

5.1. उत्पाद की गुणवत्ता तथा उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक स्तर पर प्रयास किया जायेगा। किसान अपनी पसन्द के किसी भी निर्माता कपनी का गुणवत्तापूर्ण उत्पाद चिन्हित विक्रेता से खरीद सकेंगें। भारत सरकार द्वारा तय मानक के अनुरूप उत्पाद की गुणवत्ता तथा उपलब्धता सुनिश्चित की जायेंगी।

5.2. आवेदन की जॉच प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/पौधा संरक्षण निरीक्षक/कृषि समन्वयक/पौधा संरक्षण पर्यवेक्षक या प्राधिकृत अन्य पदाधिकारी द्वारा की जायेगी एवं उनके भौतिक सत्यापन के बाद कृषक को अनुदान का भुगतान किया जायेगा।

5.3. आवेदन पत्र पर त्रिस्तरीय पंचायत समिति के सदस्यों में से किन्हीं एक सदस्य की अनुशंसा आवश्यक होगी।

5.4 सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण द्वारा इस कार्यक्रम का प्रगति प्रतिवेदन अनुसूची–III के विहित प्रपत्र में तैयार कर संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना को हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध करायेगें।

5.5. सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण द्वारा संबंधित परियोजना की उपयोगिता पर प्रखण्ड/जिला स्तर पर आयोजित होने वाले कृषक मेला/गोष्ठी में व्यापक रूप से प्रचार–प्रसार किया जायेगा।

5.6. सहायक निदेशक पौधा संरक्षण जिलावार/प्रखण्डवार एजेन्सी का चयन कर बाजार मूल्यों के आधार पर कीमत का निर्धारण करेंगें।

5.7 लाभुक किसान को अनुदान राशि/लाभ DBT (Direct Benefit Transfer) Programme के तहत् सीधे बैंक खाता में आंतरित किया जायेगा। जिन कृषकों का अभीतक खाता नहीं खुला है उनका बैंक खाता खुलवाना अनिवार्य है। खाता खुल जाने के उपरांत ऐसे कृषकों को अनुदान का लाभ देय होगा।

6. अभिलेख का संधारण :–

6.1. इस कार्यकम के अन्तर्गत लाभान्वितों की प्रखण्डवार/ पंचायतवार सूची सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी, में विहित प्रपत्र अनुसूची–III के अनुसार संधारित की जानी है एवं इसकी एक प्रति हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी नोडल पदाधिकारी–सह–संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना को समर्पित किया जायेगा।

6.2. प्रत्येक माह के 5 तारीख तक योजना से संबंधित मासिक प्रतिवेदन अनुसूची–III में संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी/सहायक, निदेशक, पौधा संरक्षण द्वारा संयुक्त निदेशक पौधा संरक्षण बिहार, पटना को उपलब्ध करा दिया जायेगा, तदनुसार संकलित प्रतिवेदन संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण) बिहार, पटना द्वारा कृषि निदेशक, बिहार, पटना को उपलब्ध करवाया जायेगा।

6.3. योजना की समाप्ति पर संकलित अंतिम प्रतिवेदन अप्रैल 2017 के प्रथम पक्ष तक संयुक्त निदेशक पौधा संरक्षण, बिहार, पटना के माध्यम से कृषि निदेशक, बिहार, पटना को समर्पित किया जायेगा।

7. बीजोपचार रसायन/ 50% अनुदान प्रति हेक्टेयर अधिकतम 150 रूपये:–

समेकित कीट प्रबंधन में बीजोपचार का महत्वपूर्ण स्थान है। न्यूनतम लागत में इससे फसलों को बीज एवं मिट्टी जनित बीमारियों तथा कीटों से प्रारंभिक सुरक्षा मिलती है। रब्बी फसलों में विभिन्न रासायनिक कीटनाशियों/जैव कीटनाशियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में बीजोपचार करने की योजना है।

7.1. इस कार्यकम की सफलता के लिए 50 प्रतिशत अनुदान पर अधिकतम 150/–रू0 प्रति हेक्टेयर अधिकतम 2 (दो) हेक्टेयर प्रति कृषक रासायनिक/जैव कीटनाशी देय होगा। कार्बेन्डाजिम 50 प्रतिशत घुलनशील चूर्ण 2 ग्राम/ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम/क्लोरपायरीफॉस 20 प्रतिशत ई0सी0 6 मिली लीटर प्रति किलोग्राम बीज के उपचार हेतु अनुशंसित है।

7.2. इसके वितरण हेतु कृषक चयन एवं अनुदान की सामान्य शर्तें वहीं होगी जो इस अनुदेश की कंडिका–4 एवं 5 में दर्ज है।

8. फेरोमोन ट्रैप (गंधपास) का 90% अनुदान प्रति हेक्टेयर अधिकतम 900/–रू0:–

बगैर कीटनाशी के व्यवहार किये कुछ कीटों यथा धान का धड़छेदक, बैगन का पिल्लू (शूट एण्ड फ्रूट बोरर) चना का फलीछेदक (हेलिकोभर्पा) आदि के नर कीटों को नष्ट कर देने से हानिकारक कीट की अगली पीढ़ी की जनसंख्या नियंत्रित होने लगती है, तथा कालान्तर में कीट से फसल का नुकसान नहीं होता है। चूँकि अलग–अलग कीटों के लिए मादा कीटों के जनन अंगों (Sexorgan) से तैयार ल्योर अलग–अलग होते हैं तथा उन्हीं के व्यस्क नरकीट फँसते हैं इनके वितरण के लिए सामान्य अनुदेश निम्नवत् हैं।

8.1. इच्छुक कृषकों को चयन करने के पश्चात प्रति हेक्टेयर अनुशंसा के अनुरूप 10 फेरोमोन ट्रेप 3 ल्यूर (प्रति ट्रैप) सहित अनुदान में देय है। प्रति किसान अधिकतम 02 (दो) हेक्टेयर के लिए अनुदान का लाभ प्राप्त कर सकेंगें।

8.2. धान का धड़छेदक, दलहनी फसलों मक्का एवं फूलगोभी/बंधागोभी/टमाटर पर हेलिकोभर्पा एवं बैगन का फ्रूट एण्ड शूट बोरर कीट आदि के प्रबंधन के लिए 3 ल्योर के साथ 10 फेरोमोन ट्रैप पर अनुदान 90% अधिकतम 900/– रू0 प्रति हेक्टेयर देय है। बैंगन के शूट एवं फ्रूट बोरर के ल्योर की कीमत अन्य की तुलना में थोड़ा अधिक होता है, जिसका वहन कृषक स्वयं करेंगें।

8.3. चयनित कृषकों के खेत में फेरोमेन ट्रैप लगाने के 21 दिनों बाद ल्यूर अनिवार्य रूप से संबंधित पौधा संरक्षण कर्मी/कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार की देख रेख में बदल दी जाय।

8.4. इसके वितरण हेतु कृषक चयन की सामान्य शर्तें वहीं होगी जो इस अनुदेश की कंडिका–4 एवं 5 में वर्णित है।

9. जैविक/ बायोपेस्टीसाइड का 50% अनुदान प्रति हेक्टेयर अधिकतम 500/–रू0

9.1. कृषकों के चयन एवं अनुदान की प्रकिया हेतु सामान्य शर्तें वही होगी जो इस आई0 पी0 एम0 की उपरोक्त कार्यान्वयन अनुदेश के कंडिका–4 एवं 5 में वर्णित है।

9.2. कृषकों को जैविक/वायोपेस्टीसाईड का 50 प्रतिशत या अधिकतम 500/–रू0 /हेक्टेयर अधिकतम 2 हेक्टेयर प्रति कृषक फसलों पर उपयोग हेतु देय होगा।

9.3. जैव कीटनाशी में विभिन्न अवयवों जैसे Fungus (Trichoderma Spp. Beauveria bassiana), नीम आधारित (Azadirachtine, Virus (NVP), Bacteria (Psuedomonas) आदि है। इनके समान रूप से उपयोग एवं प्रचारित करने के निमित महत्वपूर्ण Biopesticide e.g. Trichoderma, Beauveria bassiana, Metarhizium, Pseudomonas, Azadirachtin एवं NPV को इसमें सम्मलित किया गया है।

18.8.12

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

अनुसूची–I

जैविक खेती प्रोत्साहन योजन वित्तीय वर्ष 2016–17 अन्तर्गत किसानों को मिलने वाली अनुदान (सहायता) हेतु

आवेदन–पत्र

आवेदन संख्या–..... पौधा संरक्षण केन्द्र / प्रखण्ड.....

दिनांक– .....

किसान का फोटो पासपोर्ट साईज

सेवा में ,

सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण / जिला कृषि पदाधिकारी / जिला .....

द्वारा :– प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी / पौधा संरक्षण पर्यवेक्षक / क्षेत्र परिचालक / पौ0 स0 केन्द्र प्रभारी / कृषि समन्वयक / किसान सलाहकार.....

नहाशय,

निवेदन पूर्वक कहना है कि जैविक खेती परियोजना अन्तर्गत वर्ष 2016–17 (..... फसल के लिए) में निम्नलिखित कृषि उपादान का अनुदान (सहायता) का लाभ लेना चाहता / चाहती हूँ।

1. बीज उपचार रसायन (50% अनुदान पर अधिकतम 150 रूपये प्रति हेक्टेयर)
2. 10 फेरोमोन ट्रैप तीन ल्योर के साथ (90% अनुदान पर अधिकतम 900 रूपये प्रति हेक्टेयर)
3. जैविक रसायन (50% अनुदान पर अधिकतम 500 रूपये प्रति हेक्टेयर)

कृषक का पूर्ण विवरण :–

1. नाम ..... पिता / पति.....
2. ग्राम .....पंचायत..... प्रखण्ड .....जिला.....
3. दूरभाष संख्या– लैंड लाईन ..... मोबाईल .....(यदि हो तो)
4. धारित भूमि का खेसरा नं0–..... रकवा (हे0) .....
5. कृषक का श्रेणी– अनु0 जाति / अनु0 जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / सामान्य .....
6. समूह का नाम– ..... (यदि हो तो)

(नोट–500 रू0 (पाँच सौ) से अधिक के अनुदान पर फोटो चिपकना अनिवार्य हैं।)

आवेदक का हस्ताक्षर

प्राप्ति रसीद

कम सं0 :– पंजीकरण सं0:–

जैविक खेती प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में बीज उपचार रसायन / फेरोमोन ट्रैप तीन ल्योर के साथ / जैविक रसायन का अनुदान प्राप्त करने के लिए श्री / श्रीमति ..... पिता / पति..... ग्राम..... पंचायत ..... प्रखण्ड..... जिला–..... का आवेदन पत्र प्राप्त किया।

दिनांक:.....

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर

अनुसूची–II

स्वीकृति पत्र

श्री / श्रीमति..... पिता / पति.....

ग्राम..... के आवेदन पत्र की जाँच कर ली गयी है। इन्हें बीजोपचार रसायन / फेरोमोन ट्रैप तीन ल्योर के साथ / जैविक रसायन के क्रय के लिए स्वीकृति दी जा सकती है।

प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी / पौधा संरक्षण पर्यवेक्षक / पौधा संरक्षण पर्यवेक्षक / क्षेत्र परिचालक / पौ0 स0 केन्द्र प्रभारी / कृषि समन्वयक / किसान सलाहकार।

श्री / श्रीमति..... पिता / पति.....

ग्राम..... को बीजोपचार रसायन / फेरोमोन ट्रैप तीन ल्योर के साथ / जैविक रसायन अनुदानित दर पर क्रय के लिए स्वीकृति दी जा सकती है।

जिला कृषि पदाधिकारी / सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण

घोषणा पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि :–

1. मैं जो भी अनुदानित उपादान का क्रय करूँगा / करूँगी उसे मैं न स्थानान्तरित करूँगा / करूँगी / न ही बेचुँगा / न ही बेचुँगी सिर्फ अपने खेत पर उपयोग करूँगा / करूँगी।

2. घोषणा पत्र में गलती पाये जाने पर सक्षम पदाधिकारी मेरे विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। यह भी घोषणा करता / करती हूँ कि अनुशंसा के अनुसार अतिरिक्त छिड़काव की आवश्यकता होने पर स्वयं छिड़काव अपने खर्च पर करूँगा / करूँगी।

लाभार्थी कृषक का हस्ताक्षर

नोटः– 500 रूपये से अधिक का अनुदान पर फोटो चिपकाना अनिवार्य है।

एनेक्जरः– A

योजना का नामः– जैविक खेती परियोजना वर्ष 2016–17					प्रभारी पदाधिकारी का नाम/पदनामः–							राशि– लाख रू0 में
क्र0	जिला का नाम	कार्यमद	स्वीकृत्यादेश के अनुसार		भौतिक उपलब्धि				वित्तीय उपलब्धि			
			भौतिक लक्ष्य (एफ0 एफ0 एस0)	वित्तीय लक्ष्य	सामान्य	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	कुल	सामान्य	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी

एनेक्जरः– C

जैविक खेती परियोजना का प्रगति प्रतिवेदन।

योजना का नामः– जैविक खेती परियोजना वर्ष 2016–17					प्रभारी पदाधिकारी का नाम/पदनामः–							राशि– लाख रू0 में
			स्वीकृत्यादेश के अनुसार		भौतिक उपलब्धि				वित्तीय उपलब्धि			
क्र0	जिला का नाम	कार्यमद	भौतिक लक्ष्य (एफ0 एफ0 एस0)	वित्तीय लक्ष्य	सामान्य	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	कुल	सामान्य	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण)
बिहार, पटना।

अनुसूची–III

जैविक खेती परियोजना का अभिश्रव

पौधा संरक्षण केन्द्रः–

जिला :–

क्र० सं०	किसान का नाम	पिता / पति का नाम	ग्राम	प्रखण्ड	रकबा हे०	लाभार्थी कृषकों का वर्गीकरण					क्रय किये गये उपादान की मात्रा			क्रय किये गये उपादान की राशि				किसान को भुगतेय अनुदान की राशि				अनुदान प्राप्तकर्ता किसान का हस्ताक्षर
						अनु० जाति	अनुजन० जाति	अल्प संख्यक	महिला	अन्य	बीजोपचार रसायन 50% अधिकतम 150/–रु० प्रति हेक्टेयर पर	फेरोमोन ट्रेप 90% अधिकतम 900/– रु० प्रति हेक्टेयर	जैव कीटनाशी 50% अधिकतम 500/–रु० प्रति हेक्टेयर	बीजोपचार रसायन 50% अधिकतम 150/–रु० प्रति हेक्टेयर पर	फेरोमोन ट्रेप 90% अधिकतम 900/– रु० प्रति हेक्टेयर	जैव कीटनाशी 50% अधिकतम 500/–रु० प्रति हेक्टेयर	कुल	बीजोपचार रसायन 50% अधिकतम 150/–रु० प्रति हेक्टेयर पर	फेरोमोन ट्रेप 90% अधिकतम 900/– रु० प्रति हेक्टेयर	जैव कीटनाशी 50% अधिकतम 500/–रु० प्रति हेक्टेयर	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

प्रमाण पत्र :– पंजी के कॉलम–15, 16, एवं 17 में अंकित राशि के नगद क्रय के विरूद्ध मेरे समक्ष किसान को कॉलम–19, 20 एवं 21 में अंकित राशि का अनुदान भुगतान कर दिया गया है।

गवाह का हस्ताक्षर

विक्रेता का हस्ताक्षर

सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण/जिला कृषि पदाधिकारी का हस्ताक्षर

जैविक खेती परियोजना अन्तर्गत समेकित कीट प्रबंधन कार्यक्रम वर्ष 2016–17 का भौतिक एवं वित्तीय मासिक प्रतिवेदन।

अनुसूची–IV

माहः– वर्ष :–

क्र0	जिला का नाम	बीजोपचार रसायन				फेरोमोन ट्रैप				जैविक कीटनाशी				कुल लक्ष्य		कुल उपलब्धि		कुल उपलब्धि % मे		अनुचित
		लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि								
		भौतिक (हे0)	वित्तीय (लाख रु0)	भौतिक (हे0)	वित्तीय (लाख रु0)	भौतिक (हे0)	वित्तीय (लाख रु0)	भौतिक (हे0)	वित्तीय (लाख रु0)	भौतिक (हे0)	वित्तीय (लाख रु0)	भौतिक (हे0)	वित्तीय (लाख रु0)	भौतिक (हे0)	वित्तीय (लाख रु0)	भौतिक (हे0)	वित्तीय (लाख रु0)	भौतिक (हे0)	वित्तीय (लाख रु0)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

नोडल पदाधिकारी का हस्ताक्षर